कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर

क्रंमाकः– प. 6/पी.एण्ड़ एम.II/अतिक्रमण /04/184 दिनांक 17.07.09

परिपत्र आर/09/01

राज्य में विभाग की सड़ंकों की सीमाओं को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिऐ आवश्यक प्रभावी कार्यवाहीं एवं सतर्कता हेतु समय–समय पर इस कार्यालय परिपत्रों एवं पत्रों द्वारा आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये हैं। परन्तु जन प्रतिनिधियों से प्राप्त फीड़ बैक एवं उच्च अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदनो से यह परिलक्षित होता हैं कि इस महत्वपूर्ण विषय में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही हैं एवं जिला एवं संभाग स्तर पर सुपरवाइजरी अधिकारियों द्वारा आवश्यक मोनीटंरिग नहीं की जा रहीं हैं। यातायात के बढ़ते दबाव के सन्दर्भ में आबादी क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण आम जनता को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता हैं एवं दुर्घटना की सम्भावना भी बढ़ जाती हैं अतः विभाग के समस्त अधिकारियों को इस पत्र के द्वारा पुनः निर्देशित किया जाता हैं कि :–

1. इस कार्यालय के पत्र कंमाक एफ 2(2)/सा0नि0/ए एस/2004 दिनांक 16–10–04 की अनुपालना में अपने कार्य क्षेत्र में सा0नि0वि0 की भूमि पर हुऐ अतिक्रमण की सूची मय विवरण अधिशाषी अभियन्ता द्वारा प्रत्येक माह की दस तारीख को सम्बन्धित जिला कलक्टर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करवायगें।
2. सूची प्रस्तुत करने के उपरान्त अधिशाषी अभियन्ता जिला कलक्टर से सम्पर्क कर अतिक्रमण हटावाने हेतु प्रयास करेगें।
3. प्रत्येक माह की दस तारीख को अतिकमणों के विवरण के साथ विगत माह में हटायें गये अतिक्रमणों की सूचना अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अधिक्षण अभियन्ता एवं अति0 मुख्य अभियन्ता को भी प्रस्तुत की जावें।
4. अतिक्रमण हटाने के उपरान्त उस स्थान पर पुनः अतिकमण न हो इसकी जिम्मेदारी सहायक अभियन्ता को सौपी जावें एवं पुनः कब्जे की स्थिति में सहायक अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार को शीघ्र सूचित किया जावें।
5. अतिकमणों एवं हटाये गये अतिक्रमणों का विवरण सहायक अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता के कार्यालय में एक विशेष पजिंका में संधारित किया जावें।
6. अतिकमण हटवाने के सन्दर्भ में विभागीय अधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही/अपेक्षित कार्यवाही की समीक्षा संभाग स्तर पर अति0 मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रत्येक जिले के अधिशाषी अभियन्ता एवं अधिक्षण अभियन्ता की त्रैमासिक बैठक आयोजित कर की जावें एवं इस कार्य में विभागीय स्तर पर लापरवाही पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्व इस कार्यालय को कार्यवाही प्रस्तावित की जावें। यदि अति0 मुख्य अभियन्ता समीक्षा के दौरान यह पाये की राजस्व विभाग के कनिष्ट अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में समय–समय पर आवश्यक कार्यवाही करने में रूचि नहीं ली जा रहीं हैं तो सम्बन्धित जिला कलक्टर की जानकारी में लाकर अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करावें।

(हस्ताक्षर) 17/7/09
मुख्य अभियन्ता एवं अति.सचिव
सा.नि.वि.राज.जयपुर

प्रतिलिपि :– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं।

1. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा0नि0वि0 संभाग ________ समस्त।
2. अधिक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 वृत ________ समस्त।
3. अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 खण्ड ________ समस्त।

(हस्ताक्षर) 17/7/09
मुख्य अभियन्ता एवं अति.सचिव
सा.नि.वि.राज.जयपुर

Note: This circular is available on PWD Website — pwd.rajasthan.gov.in